Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha. Both the Bills are listed today for a combined discussion.

Hon. Members, taking into account the allocation of time by the Business Advisory Committee separately for discussion on the said Bills, the time for today's combined discussion works out to be about two-and-half hours. However, I suggest that three hours may be allotted for the combined discussion. I hope the House agrees!

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Three hours are allocated.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with permission. Shri Pramod Tiwari seeks to raise an important issue, 'Issue of hate speech in the country'. I am sure your input would generate soothing response, wholesome ecosystem and rightful consideration.

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): That I always do, Sir.

MR. CHAIRMAN: Please go ahead.

Issue of hate speech in the country

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में सबको अपनी आस्था के अनुसार धर्म के, विश्वास के पालन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वे स्वतंत्र हैं, परंतु कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। उसी संदर्भ में मैंने यह प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूँ कि दलों से ऊपर उठ कर इस संवेदनशील विषय पर हम विचार-विमर्श करें। मान्यवर, आईपीसी की धारा 295, फिर उसके बाद अगर आप देखें, पूर्व नियोजित ढंग से अगर किसी के धर्म और आस्था पर प्रहार किया जाए या दुरुपयोग किया जाए, तो फिर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा कायम होता है। यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। मैं आपके सामने विधि आयोग, लॉ कमीशन की रिपोर्ट रखना चाहता हूँ, जिसके अनुसार 2014 में देश में कुल 323 प्रकरण हुए थे। 2020 में ये 6 गुना बढ़ गए और 1,804 प्रकरण हो गए। 2022 से अभी तक 1,500 प्रकरण हो चुके हैं और इस साल के अन्त

तक यह संख्या बढ़नी है। मैंने आपके सामने विधि आयोग की रिपोर्ट रखी। इसमें सबसे ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में कायम हुए हैं।

मान्यवर, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सामाजिक संरचना में divide and rule का काम तो अंग्रेजों ने किया था और महात्मा गांधी जी ने इसी को युनाइट किया था। उनका एक प्रसिद्ध भजन है :-

"रघुपति राघव राजाराम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको सम्मति दे भगवान।"

आज अगर इस आज़ादी के दौर में उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए और उसके बाद उसका परिणाम होता है - दंगे, फ़साद, उत्तेजना, तो जो बात मैंने कही, मैंने आंकड़ों सहित साबित कर दी कि यह उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तब इस राज्य सभा का या सरकार का दायित्व क्या है? वह इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक संकल्प ले, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वह कानून में आवश्यक संशोधन करे। ...(**व्यवधान**)... ...(**माइक ऑफ**)...

MR. CHAIRMAN: You need some more time! Okay, one minute.

श्री प्रमोद तिवारी : महोदय, ...(**व्यवधान**)... यह राजनैतिक कारणों की वजह से हो रही है, राजनैतिक लाभ लेने के लिए हो रही है। मेरा सुझाव है कि जो लोग hate speech दें, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। खास तौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हों, वे अगर इसका दुरुपयोग करें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्छल मन से, बहुत स्पष्ट करते हुए hate speeches पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और अपील की है कि इसका राजनैतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति नहीं चलें, बल्कि हम महात्मा गांधी जी के बताये रास्ते पर चलें।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Pramod Tiwari: Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Mausam Noor (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. Amee Yajnik (Gujarat), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Now, Shri Manas Ranjan Mangaraj; demand for completion of coastal highway project in Odisha.